न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 225/22

तारीख दायर 31.5.2022

मानव कुमार तिवाडी पिता शांतिलाल तिवाडी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1– महावीर पिता रामश्वर शर्मा जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी कामा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा राज0

2– राजु पिता लच्छीराम जाति मीणा, उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा राज0

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट ––विपक्षीगण

:–आदेश:–

दिनांक 31.5.2022

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री मानव कुमार तिवाडी** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुमित कुमार जोशी** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम कामा पटवार क्षैत्र गणेशपुरा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 10 आराजी नंबर 44 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी नंबर 45 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नंबर 50 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.0972 हैक्टेयर** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2076–2079** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम कामा पटवार क्षैत्र गणेशपुरा, भु–अमिलेख निरिक्षक क्षैत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 10 आराजी नंबर 44 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी नंबर 45 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नंबर 50 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.0972 हैक्टेयर** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ

उपखण्ड़ अधिकारी,
बिजौलियॉ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 31.5.2022

प्रकरण संख्या :– 225/22

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियॉ

विषय :– प्रकरण संख्या 225/2022 प्रत्थरगढी बाबत्।

मानव कुमार तिवाडी पिता शांतिलाल तिवाडी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

1– महावीर पिता रामश्वर शर्मा जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी कामा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा राज0

2– राजु पिता लच्छीराम जाति मीणा, उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा राज0

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा ग्राम कामा पटवार क्षैत्र गणेशपुरा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 10 आराजी नंबर 44 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी नंबर 45 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नंबर 50 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.0972 हैक्टेयर** की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ